राजस्व वाद संख्या–162/2021 अनवान विमलादेवी बनाम सरकार आदि

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नाई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 162/2021

1. विमलादेवी पत्नी श्री लाधूराम जाति नायक साकिन 4 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——वादिया

–:बनाम:–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. सिंचाई विभाग सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अभियन्ता सूरतगढ़।
3. लीलावती पत्नी श्री श्योपतराम जाति नायक निवासी 4 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

——प्रतिवादीगण

–::निर्णय::–

दिनांक :– 02/08/2024

वादिया की ओर से श्री शलेन्द्र कुमार नायक अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 3 की ओर से श्री सद्दाम हुसैन अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित कृषि भूमि के निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हः– चक 4 एस.टी.बी. खाता सं. 93/79 के प.नं. 83/366(57) किला नं. 6/2/0.025, 15/2/0.025, 16/2/0.025, 25/3/0.025 की कुल 0.100 हैक्ट. भूमि में पूर्व दिशा में खाला का अंकन राजस्व जमाबंदी से हटाया जाकर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसील पीलीबंगा के चक 4 एस.टी.बी. खाता सं. 94/91 के प.नं. 83/366(57) किला नं. 6/2/0.025, 7/2/0.025, 8/3/0.013 की कुल 0.063 हैक्ट. गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि का खाता विभाजन मुताबिक किला कर वादिया की रकमराज अलग कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड प्रथम सूरतगढ़ द्वारा पानी पर्ची अलग–अलग जारी की जावें।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। आज दिनांक 02/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.06 10:41:42 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा